विभाग का नाम	**लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या**	भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) का वर्ष	कार्यान्वयन हेतु लबित कंडिकाए	कंडिकाओं की सख्या	कुल सख्या
भवन निर्माण विभाग (Building Construction Deptt.	429	1984-85	4.8,4.9,4.10	3	11
		1985-86	4.9	1	
		1986-87	4.18,5.5	2	
		1987-88	3.3,3.7	`2	
		1988-99	5.4	1	
		1989-90	4.1	1	
		1991-92	4.9	1	

8/1403

प्राक्कथन

मैं, सभापति, लोक लेखा समिति की हैसियत से विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन (सिविल) की कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन सं० करता हूँ ।

उक्त प्रतिवेदन दिनांक 30.4.05 को लोक लेखा समिति की समिति की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया है । प्रतिवेदन तैयार के कम में महालेखाकार कार्यालय के प्रतिनिधि पदाधिकारियों एवं वित्त विभाग के पदाधिकारियों से समिति को वांछित सहयोग मिला है, जिसके लिये मैं अपनी समिति की ओर से उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ । साथ विभाग के पदाधिकारियों के भरपूर सहयोग के लिए मैं उनके प्रति आभार करता हूँ ।

सभा सचिवालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारी अपने अथक प्रयास का परिचय इस प्रतिवेदन तैयार करने में दिया है । मैं अपनी ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूँ ।

समिति के माननीय सदस्यगण अपना बहुमूल्य समय देकर प्रतिवेदन तैयार करने में जो सहयोग प्रदान की है, मैं उनका आभारी हूँ और इस कृत्य के लिए अपनी ओर से सहृदय धन्यवाद देता हूँ ।

रामदेव वर्मा,
सभापति,
लोक लेखा समिति

पटना :
दिनांक 30-4-05

भवन – निमार्ण
वर्ष 1984-85 (सिविल)

क्रम सं0	कण्डिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुशंसा
1.	4.8	**अनियमित क्रय** मार्च 1976 के सरकारी आदेश के द्वारा प्रमुख अभियंता सह विशेष सचिव को केवल मंडल अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत किये गये आदेश के आधार पर निदेशक सामान्य आपूर्ति और निपटान के दर ठेके पर सामग्री के खरीद के लिए सीधा मांग अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन कर अधीक्षण अभियंता भवन अंचल मुजफ्फरपुर ने अक्टूबर 1982 में अनुबंधित डी.जी. एस. एण्ड डी. दर ठेके के खिलाफ कार्यपालक अभियंता भवन डिविजन मोतिहारी जिसमें कि इन चीजों के लिए कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया था को आपूर्ति करने के लिए कलकत्ता के एक प्रतिष्ठान को नम्बर 1982 में 90 मि.मी. (13760 संख्या) और 110 मि.मी. (9960 संख्या) आकार के एच.डी.पी.ई. पाईपों (10.00 लाख रूपया मूल्य के) की आपूर्ति के लिए आदेश दिया। दूसरी ओर कार्यपालक अभियंता ने अधीक्षण अभियंता को दिसम्बर 1982 में सूचित किया कि डिविजन में इन चीजों का पर्याप्त भण्डार था और इन्हें स्वीकार करने पर न केवल भण्डारण की समस्या होगी बल्कि 8 लाख रू0 की स्वीकृत स्टॉक सीमा भी पार कर जायेगी। इसी बीच इस सूचना की प्राप्ति पर कि विभागीय अधिकारी सामग्रियों का अनियमित क्रय कर रहे थे, सरकार ने सभी अधीक्षण और कार्यपालक अभियंताओं को इस प्रकार के जारी किए गये सारे आदेश यदि कोई हो तो रद्द करने का निर्देश दिया। (जनवरी 1983) तदनुसार अधीक्षण अभियंता ने उपरोक्त आदेश का तार भेज कर रद्द कर दिया (फरवरी 1983) जिसको कि बाद में उनके द्वारा प्रतिसंहरण कर लिया गया। (जुलाई 1983) जिसका कारण अभिलेख में नहीं दिया गया था। जुलाई से सितम्बर 1983 की अवधि के दौरान 10 लाख रू0 मूल्य के पाईप फर्म के द्वारा भेजे गए और मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर उतारे गये। लेखा नियंत्रक आपूर्ति विभाग कलकत्ता	विभागीय पत्रांक 4039 दिनांक 28.9.92 द्वारा सिविल कण्डिका का उत्तर बिहार विधान सभा सचिवालय लोक लेखा समिति कोषांग को उत्तर उपलब्ध कराया गया है जो निम्नवत् है - निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक जो तत्कालीन अधीक्षण अभियंता भवन अंचल भागलपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 1982-83 में कलकत्ता के एक फर्म से 10एम.एम. एवं 110 एम.एम. साईज के एच.डी.पी.ई. पाईप की आपूर्ति डी.जी.एस.एण्ड डी. दर के खिलाफ 10 लाख रू0 मूल्य के अनियमित क्रय से सम्बन्धित है के संबंध में कहना है कि श्री कुँवर सिंह तत्कालीन अधीक्षण, भवन अंचल मुजफ्फरपुर को इस अनियमित क्रय के लिए पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना संख्या 3784 (एस) दिनांक 7.9.83 द्वारा निलंबित कर दिया गया है। श्री सिंह के विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या 13/88 द्वारा केस कर दिया गया है। काण्ड की जांच निगरानी विभाग द्वारा की जा रही है। अभी तक निगरानी विभाग द्वारा अंतिम निर्णय से भवन निर्माण विभाग को अवगत नहीं कराया गया है। इसके अतिरिक्त निगरानी विभाग ने विषयांकित आरोप पत्र संख्या - 3/89 दिनांक 15.5.89 विशेष न्यायाधीश (निगरानी) पटना के न्यायालय में समर्पित कर दिया है। इस विभाग को न्यायालय/निगरानी विभाग के अंतिम निर्णय की सूचना मिलते ही वस्तु स्थिति से आपको अवगत करा दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना है कि श्री सिंह सेवा निवृत भी हो चुके हैं।	**विभागीय स्पष्टीकरण तथा मामला मा० न्याय न्यायालय में समर्पित होने के कारण समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।**

क्रम सं0	कण्डिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुशंसा
1.	48	के द्वारा फर्म को भुगतान जारी किया गया। (दिसम्बर 1983) यद्यपि अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता ने रेलवे को घाट प्रभार और विलम्ब शुल्क के भुगतान से बचने के लिए कार्यपालक अभियंता को माल छुड़ाने का निर्देश दिया (अगस्त/सितम्बर 1983) लेकिन उन्हें नहीं उठाया गया। एच.डी.पी.ई. पाईप रेलवे यार्ड में पड़े हुए थे (जनवरी1986) और कार्यपालक अभियंता ने बातचीत के दौरान बतलाया (जुलाई 1986) कि उनके छुड़ाये जाने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि रेलवे की देय विलम्ब शुल्क और घाट प्रभार की राशि पाईपों के मूल्य से ज्यादा हो गई थी। यद्यपि मुख्य अभियंता को अप्राधिकृत खरीद की जानकारी कम से कम सितम्बर 1983 में थी जिस समय उसने कार्यपालक अभियंता को माल नहीं उठाने का निर्देश जारी किया, उसके द्वारा विषय को सरकार की जानकारी में लाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई जिससे दिसम्बर 1983 में फर्म को भुगतान नहीं करने के लिए उपचारी कदम उठाया जा सके। सरकार को विषय की जानकारी अगस्त 1985 में दी गई। उनके उत्तर की प्रतीक्षा है। (अगस्त 1986)		
2.	49	<u>परिहार्य अतिरिक्त व्यय</u> लागत में वृद्धि के कारण कार्य के संशोधित प्राकलन को अनुमोदन प्राप्त होने तक निविदा के अन्तिम निर्णय में होने वाली देरी को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने अधीक्षण अभियंता (एस.ई.) को निविदा का अन्तिम निर्णय के लिए अधिकार प्रदान करते हुए अक्टूबर 1977 में निर्देश जारी किया। (जनवरी 1982 में संशोधित) बशर्ते कि (1) निविदा बातचीत से तय कि गयी लागत संशोधित प्राकलन के 15 प्रतिशत से या उसके अभाव में निविदा के अन्तिम निर्णय लेने की तिथि को वर्तमान दरों की अनुसूची पर आधारित विश्लेषित लागत से अधिक न हो (2) निविदा के अंतिम निर्णय	विभागीय पत्रांक 5207(क) दिनांक 30.12.91 द्वारा सिविल कण्डिका का उत्तर बिहार विधान सभा सचिवालय लोक लेखा समिति कोष्ठक को उपलब्ध कराया गया है, जो निम्न रूपेण है - उपर्युक्त विषय पर निदेशानुसार मुझे कहना है कि प्रथम निविदा को इस लिए रद्द किया गया, क्योंकि कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने भवन को दो मंजिला तथा नक्शा	

क्रम सं0	कण्डिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुशंसा
		लेने की तिथि से एक महीने के अन्दर उच्च प्राधिकारी से संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एस.ई. के द्वारा साथ साथ कारवाई की जाती है और (3) संशोधित आंकलन का अनुमोदन प्राप्त होने तक कार्य पर व्यय पुराने अनुमोदित आंकलन की राशि तक सीमित हो। पटना उच्च न्यायालय के एक अतिरिक्त भवन के सिविल भाग के निर्माण के लिए दो वर्षों के अन्दर पूर्ण करने के अनुबंध पर जनवरी 1979 में आमंत्रित किये गये निविदा के (मूल अनुमानित व्यय 7.45 लाख रूपये) जवाब में 14.91 लाख रूपये का न्यूनतन प्रस्ताव निविदादाता क से प्राप्त हुआ जो कि निविदा को अन्तिम निर्णय देने की तिथि के हिसाब किये गये 14.56 लाख की विश्लेषित लागत से 2.5 प्रतिशत से ज्यादा था। (फरवरी 1979) कार्यपालक अभियंता सड़क निर्माण विभाग, केन्द्रीय डिविजन, पटना के न्यूनतम निविददादाता को कार्य आवंटित करने के लिए एस.ई. दक्षिण बिहार अंचल पटना से सिफारिश किया (फरवरी 1979) और साथ साथ संशोधित प्राकलन का सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की। अनुमोदन प्राप्त होने तक कार्य पर व्यय मूल अनुमोदित प्राकलन की राशि (7.45 लाख रूपये) तक सीमित रखा जा सकता था। फिर भी एस.ई. ने इस आधार पर प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया कि श्रम और सामग्रियों की लागत में वृद्धि और मूल आंकलन मे दिये गये एक मंजिला भवन के निर्माण के स्थान पर बाद में दो मंजिला भवन निर्माण के निर्णय के फलस्वरूप भवन के नींव के डिजाईन में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए बिना संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन के कार्य का निष्पादन नियमित नही हो सकेगा। उसके बाद उनके पहल पर सिविल कार्य के लिए प्राकलन को संशोधित कर 13.68 लाख रू0 का किया गया और संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मुख्य अभियंता के पास भेजा गया। (मई 1979) जो कि सभी स्तरों पर किसी अनुवर्ती कार्रवाई के अभाव में, करीब दो वर्षों के बाद प्राप्त किया गया (फरवरी 1981)	में परिवर्तन करने का प्रस्ताव दिया। चूँकि स्वीकृत प्राक्कलन में एक मंजिला भवन की स्वीकृति प्राप्त थी। अतिरिक्त कार्य को बिना प्रशासनिक स्वीकृति के कारण नियमानुकूल नहीं था। ऐसी स्थिति में अधीक्षण अभियन्ता ने इस निविदा की स्वीकृति नही दी। इसके बाद इस कार्य की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दो वर्षों के बाद 13.68 लाख रूपये पर प्राप्त हुई। पुनः नवम्बर 81 में निविदा आमंत्रित की गई जिसमें समझौता की न्यूनतम राशि 20.62 लाख रूपये आई। निविदा पर निर्माण होने के कारण यानि फरवरी 1982 के प्रभावी अनुसूचित दर पर प्राक्कलन की राशि 17.96 लाख हो गयी थी। इस प्रकार निविदा की राशि से 14.8 प्रतिशत अधिक आयी थी। अनुलग्य सीमा 15 प्रतिशत के अन्दर थी। दूसरी बार जब निविदा की गयी तो देखा गया कि प्राक्कलन की पुनः पुनरीक्षण की आवश्यकता है। तब यह सोचने का विषय बन गया कि पुनरीक्षण प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने दें, जो अलग लागत है इतनी देर कार्य को रोक रखा जाय, क्योंकि बढ़ती हुई महगाई सामग्रियों की कीमत एवं मजदूरी को देखते हुए द्वितीय पुनरीक्षण प्राक्कलन को भी पुनरीक्षण करना पड़ेगा। इस स्थिति को महसूस करते हुए अधीक्षण अभियंता ने मुख्य अभियंता से स्वीकृति पुनरीक्षण प्राक्कलन की अनुज्ञय सीमा की राशि तक कार्य कराने की अनुमति प्राप्त कर निविदा की स्वीकृति दी एवं द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन को स्वीकृति हेतु सरकार के यहाँ समर्पित कर दिया सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति 1984 में दी गई एवं इस कार्य	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रम सं0	कण्डिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुशंसा
		नवम्बर 1981 में जब कार्य के लिए पुनः निविदा आमंत्रित की गयी थी, समझौता की गयी न्यूनतम लागत (20.62 लाख रू0) निविदा के अंतिम निर्णय की तिथि (फरवरी 1982) को गणना किये गये विश्लेषित लागत (17.96 लाख रू0) से 14.8 प्रतिशत अधिक थी और अधीक्षण अभियंता ने इसका अनुमोदन प्राप्त किये बिना ही न्यूनतम निविदादाता फरवरी 1982 में इसके समझौता लागत पर कार्य सौंप दिया। जिस कार्य को फरवरी 1986 तक तकनीकी अनुमोदन नहीं दिया गया था, उसे अनुबंधित समय के अन्दर (फरवरी 1985) कुल 20.42 लाख रू0 के लागत पर पुरा कर लिया गया था। दूसरे संशोधन प्राकलन को जनवरी 1984 में सरकार के द्वारा मंजरी दी गयी थी। लेखा परीक्षा के पूछे जाने पर (फरवरी 1986) कि संशोधित प्राकलन का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना ही दूसरी बार कैसे कार्य सौंप दिया गया जिस आधार पर पहला प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया था, अधीक्षण अभियंता ने बतलाया (मार्च 1986) कि लागत में वृद्धि और प्राकलन के अनुमोदन में ज्यादा समय लगने के कारण कार्य निष्पादन में होने वाली देरी को रोकने के लिए ऐसा किया गया कि चूंकि अधीक्षण अभियंता के प्रथम मांग (फरवरी 1979) के दौरान वर्तमान कार्य प्रणाली और निविदा के अन्तिम निर्णय के समय आने वाले लागत की जानकारी अपेक्षित थी, प्रथम मांग के दौरान निविदा को स्वीकृत करने की उसकी कार्रवाई स्पष्टतः गलत थी जिससे न केवल कार्य निष्पादन में तीन वर्षों की देरी हुई बल्कि इसके परिणामस्वरूप 5.51 लाख रू0 का परिहार्य अतिरिक्त व्यय भी हुआ। सरकार को विषय की जानकारी सितम्बर 1985 में दी गयी थी, उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (अगस्त 1986)	को विनियमित कर दिया गया। इस प्रकार पहली बार निविदा की अस्वीकृति नियमानुकूल था तथा दूसरी बार निविदा की स्वीकृति विवेकपूर्ण थी।	समिति विभागीय स्पष्टीकरण से असंतुष्ट है। समिति की इस पर [illegible] साथ संबंधित पदाधिकारी द्वारा 3 वर्ष विलम्ब से कार्य निष्पादन के कारण 5.51 लाख रुपये अतिरिक्त व्यय हुए हैं दोषी अधीक्षण अभियंता के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई तीन माह के अन्दर विभाग समिति को अवगत करायें।

क्रम सं0	कण्डिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा
3	4.10	**अवमानक सिमेंट की स्वीकृति** डी.जी.पी.एस. एण्ड डी. दर ठेके पर कारखानों से सिमेंट की आपूर्ति के लिए विहित पद्धति डी.जी.एस.एण्ड डी. के द्वारा इसी गुणवत्ता के विषय में दिये गये निरीक्षण टिप्पणी के सत्यापन के बाद ही प्रेषण को स्वीकार किया जाना है। ठेके की शर्तों में प्रावधान है कि यदि प्रेषित प्रेषण कोई दोष पाता है तो नेशनल टेस्ट हाउस कलकत्ता के द्वारा जांच के लिए नमूना निकालने की उसकी मशा को परेषण प्राप्ति के बीस दिनों के अन्दर आपूर्तिकर्त्ता को सूचित करना है और नमूना निकालने के समय आपूर्तिकर्त्ता और डी.जी.एस.एण्ड डी. के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करना है। डी.जी.एस. एण्ड डी. दर ठेके पर सिमेंट की आपूर्ति के लिए क्रय तथा परिवहन निदेशक के द्वारा दिये गये आदेश (सितम्बर और दिसम्बर 1982) के अनुसार भवन डिविजन रांची ने बिना कोई निरीक्षण टिप्पणी प्राप्त किये दो कारखानों से (क. 2000 और ख. 13200 बोरे) 16200 बैग सिमेंट मूल्य 6.02 लाख रू0) वाहन ठेके के द्वारा उठाया (जनवरी/फरवरी 1983)/ विहित पद्धति से हटने के कारण सही ढंग से डिविजन के द्वारा नहीं बतलाये जा सके। आपूर्तिकर्त्ता क से प्राप्त 2000 बोरों में से 1250 बोरे नाम कोम (रांची) में ई. एस.आई. अस्पताल भवन निर्माण में खर्च किये गये थे (जनवरी 1983) कार्य निष्पादन के दौरान यह देखा गया कि सिमेंट के जमाव में कम समय लग रहा था और सिमेंट कार्य में भी त्रुटि थी जिसका सुधार 0.27 लाख रू0 के लागत पर किया जाना था। भवन के सिमेंट गारा के नमूने की जांच डिविजन प्रयोगशाला में की गयी (जनवरी फरवरी 1983) और डी.जी. एस एण्ड डी. तथा आपूर्तिकर्त्ताओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किये बिना ही दोनो आपूर्तिकर्त्ताओं से प्राप्त स्टॉक से डिविजन के द्वारा निकाले गये सिमेन्ट की जांच बिड़ला इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बी. आई.टी.) मेसरा (रांची) में कराये जाने पर पता चला कि आपूर्ति गुणवत्ता में घटिया (कम जमाव शक्ति वाला) और आई.एस.आई. विशिष्टियों से बहुत	विभाग पत्रांक 2851 (भ) अनु दिनांक 24.8.93 द्वारा इस सिविल कण्डिका का उत्तर बिहार विधान सभा सचिवालय लोक लेखा समिति कोषांग को उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नवत है , उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि दिनांक 18.8.93 को हुई लोक लेखा समिति की बैठक में माननीय सदस्यों के साथ प्रसंगाधीन विषय एवं पत्र के संदर्भ में विचार विमर्श के उपरान्त कहा गया कि तत्कालीन मुख्य अभियंता ने जो मंजारी सीमेंट फैक्ट्री से प्राप्त अवमानक सीमेंट तेरह हजार बोरा को उन इम्पोरटेन्ट वर्क में उपयोग करने का आदेश दिया था वह गलत था और समिति ने सचिव को निर्देश दिया कि सम्बन्धित तत्कालीन मुख्य अभियंता के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा दायर करें। इस संबंध में सचिव ने समिति के सम्मुख कहा कि सेवा निवृत सरकारी पदाधिकारी के विरूद्ध मुकदमा दायर करने के लिए विधि विभाग की राय लेना आवश्यक होगा। सचिव को ऐसा सुझाव देने पर सदस्यों ने कहा कि सम्बन्धित मुख्य अभियंता पर मुकदमा दायर कर सभा सचिवालय को दिनांक 27.8.93 के पूर्व समिति को सूचित करें। चूंकि वर्णित स्थिति में सचिव कार्यपालक नियमावली के अनुसार सरकार का आदेश प्राप्त किये बिना कोई फौजदारी मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं अतः सरकार का आदेश प्राप्त करने के लिए संचिका प्रस्तुत किया गया और सरकार का आदेश प्राप्त करके ही कोई अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी । इस संदर्भ में तत्कालीन मुख्य अभियंता के पत्रांक 1 कैम्प	विभाग संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है तीन माह के अन्दर समिति को अवगत कराये । →

क्रम सं0	कण्डिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुशंसा
		नीचे थे। बिना निरीक्षण टिप्पणी प्राप्त किये परेषण की स्वीकृति, नमूने का सम्मिलित रूप से नहीं निकाला जाना नमूने का जैसा कि आवश्यक था, नेशनल टेस्ट हाउस के द्वारा जांच नहीं कराये जाने के कारण न तो अभिलेख में थे, न ही बतलाये गये। डिविजन अधिकारी, रांची ने बी.आई.टी. और डिविजन प्रयोगशाला के रिपोर्ट के आधार पर मार्च – अप्रैल 1983 में अर्थात 30 दिनों के निर्धारित अवधि के बीत जाने के बाद आपूर्तिकर्ता (क) में अनुपयोजित 750 बोरे सिमेंट में से 745 बोरो के बदल दिया। (मई 1983) ई.एस.आई. चिकित्सालय भवन में सुधार उपायों के लिए खर्च किये गये 0.27 लाख रू0 का दायित्व स्वीकार नहीं किया। निर्धारित अवधि के अन्दर त्रुटि की सूचना नहीं दिये जाने और नेशनल टेस्ट हाउस के द्वारा नमूने की जांच नहीं कराये जाने के आधार पर आपूर्तिकर्ता ख ने परेषण (13200 बोरे) को बदलने में अपनी असमर्थता व्यक्त की (अप्रैल 1983) इसके बाद मुख्य अभियंता ने परेषण स्वीकार करने के लिए निर्धारित पद्धति का अनुसरण नहीं किये जाने के कारणों की जांच किये बगैर घटिया किस्म के सिमेंट की पुरी मात्रा का क्रय महत्व के कार्यो में (चाहरदिवारी का निर्माण, एकतल्ला भवन के ईंट कार्य प्लास्टर, मरम्मति कार्य आदि) उपयोग करने का अनुमति दे दी (मई 1983) जिस कार्य में अवमानक सिमेंट का प्रयोग किया गया था, उसके निष्पादन का निर्धारण विभाग के द्वारा नहीं किया गया। इस प्रकार, नेशनल टेस्ट हाउस के द्वारा निर्धारित समय के अन्दर सिमेंट के नमूने की जांच कराने और डी.जी.एस. एण्ड डी. दर ठेकों में निर्धारित पद्धति का अनुसरण करने में डिविजन अधिकारी की असफलता के परिणामस्वरूप घटिया कार्य के पुनर्निर्माण में 0.27 लाख रू0 मूल्य के घटिया किस्म की सिमेंट की स्वीकृति से वास्तविक घाटा, जिसका निर्धारण सरकार के द्वारा नहीं किया गया था, करीब 2.85 लाख रू0 था। सरकार को विषय की सूचना सितम्बर 1985 में दी गयी उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (अगस्त 1986)	रांची दिनांक 4.8.93 की प्रति भी संलग्न की जा रही है। जिसके द्वारा उन्होने अवमानक सीमेंट को व्यवहार करने का आदेश कुछ शर्तो के साथ अधीक्षण अभियंता छोटानागपुर अंचल रांची को दिया गया।	

क्रम सं०	कण्डिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुशंसा
1.	2.3	नयी सेवा / नयी सेवा प्रपत्र पर व्यय भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत नयी सेवा पर व्यय जिसे उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण और सेवा के नए प्रपत्र पर विचार नहीं किया गया था। विधान मण्डल द्वारा प्राधिकृत करने की आवश्यकता है। राज्य लोक लेखा समिति ने अपनी 30 रिपोर्ट से नयी सेवा के रूप में गिनती किए जाने वाले व्यय के लिए आर्थिक सीमा की अनुशंसा की थी। इस प्रकार निर्धारित की गयी शर्तों के अनुसार एक मुश्त धन व्यवस्था से वित्त पोषित, 1 लाख रूपये या, उससे अधिक की लागत वाली सभी योजनाऐं नयी सेवा के रूप में जानी जायेगी। और इसकी जानकारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद विधान मण्डल को दी जानी चाहिए। ब्याज वाले कर्ज और अग्रिम जो बजट में धन व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं आता है। जब रकम 1 लाख रूपया से अधिक हो जाए और दूसरे मामलों में ब्याज धन व्यवस्था से दो गुणा हो जाय या दो लाख रू० या इनमें से जो भी अधिक हो नई सेवा कहलायेगी। यह देखा गया है कि 37 मामलों में 128.06 करोड़ रूपया वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं पर 125.61 करोड़ रू० की एकमुश्त धन व्यवस्था में से खर्च किया गया था (मूल 81.00 करोड़ रू० और अनुपूरक 44.61 करोड़ रू०) न तो योजनाओं का नाम जिसके लिए एक मुश्त व्यवस्था की गयी थी, बजट में सलग्न कार्यों की सूची में प्रदर्शित की गयी और न ही ऐसे मामलों को विधान मण्डल की जानकारी में अबतक दिया गया है (मार्च 1988) जैसा कि आवश्यक है। (एक मामले में 70.44 लाख रू० कर्जे और पेशगियाँ (ब्याजयुक्त) दो निवाईयों को दी गई थी जिसके लिए धन व्यवस्था नहीं की गयी थी। दूसरे अन्य 39 मामलों में व्यय धन व्यवस्था से दो गुणा या दो लाख रू० से अधिक नई सेवा रूप में हो गया था।	वैसे परियोजनाओं जो एक लाख रूपये से अधिक लागत की है। उसकी एक सूची बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति कोषांग को पूर्व में उपलब्ध कराया गया है। पुनः विवरणी संलग्न की जा रही है। देखें " परिशिष्ट " " क"।	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रम सं0	कण्डिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुशंसा
2	4.9	<u>छात्रावास के निर्माण में विलम्ब</u> राजकीय पोलिटेकनिक, सहरसा के छात्रों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नवम्बर 1980 में एक शय्यायुक्त छात्रावास के निर्माण हेतु 13.16 लाख रू0 का प्रशासनिक स्वीकृति पदान किया गया। अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल पूर्णिया ने जून 1982 में जारी एक सूचना के आधार पर एक निविदाकर्ता के पक्ष में 11.87 लाख रूपये की बातचीत से तय की गयी लागत पर निविदा को अन्तिम रूप दे दिया। (सितम्बर 1982) और फरवरी 1983 में इसके साथ एकरारनामा कर लिया करारनामें की शर्तों के अनुसार विभाग को माहवारी उसके दावे का निपटारा कर देना था। फिर भी, उनका दूसरा लेखागत बिल (निकल दावा 1.82 लाख रू0) जो भवन प्रमण्डल सहरसा द्वारा जुलाई 1983 में प्राप्त किया गया था, वर्ष के अन्त में (फरवरी 1984) मुख्य अभियंता से निधि के आवंटन की प्राप्ति होने पर मार्च 1984 में भुगतान के लिए पारित किया गया। इसी बीच लिंटिल स्तर पर तक 2.41 लाख रू0 के निर्माण कार्य करने के बाद ठेकेदार ने फरवरी 1984 से काम करना बंद कर दिया और विभाग से अन्य बातों के साथ साथ भुगतान में विलम्ब के आधार पर करारनामों को भंग करने का अनुरोध किया। निर्माण कार्य शुरू करने के लिए अनेक सूचनाएं निर्गत करने के बाद भी ठीकेदार ने उत्तर नहीं दिया। भुगतान में विलम्ब का उसके मुख्य दोषारोपण का खण्डन नहीं किया गया। तत्पश्चात किये गये निर्माण कार्य का अन्तिम मापी विभाग द्वारा जनवरी 1985 में एक पक्षीय रूप से नवम्बर 1984 में अन्तिम सूचना निर्गत करने के बाद किया गया। लेखापरीक्षा में अधोलिखित बातों का पता चला। 1. 1981 -1982 से 1984 – 1985 के दौरान इस निर्माण कार्य के लिय कुल निधि (17.71 लाख रू0) मुख्य अभियंता द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में (फरवरी– मार्च) दिया गया। जिसके फलस्वरूप 8.19 लाख रूपया अप्रयुक्त पड़े रहे। जिन्हें अभ्यर्पित कर देना पड़ा। 9.52 लाख रू0 के	विभागीय पत्रांक 3832 (म) दिनांक 16.6.2000 द्वारा सिविल कण्डिका का उत्तर बिहार विधान सभा सचिवालय लोक लेखा समिति कोषांग को उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नरूपेण है। लोक लेखा समिति की बैठक में महालेखाकार के प्रतिनिधि द्वारा कण्डिका के संबंध में एक प्रश्नावली का कण्डिकावार उत्तर संलग्न करते हुए कहना है कि इस कार्य के संवेदक को मात्र एक मामले में छोड़कर भुगतान में कभी विलम्ब नहीं किया गया। चूंकि कार्य बाधित न हो, संवेदक को पर्याप्त मात्रा में विभागीय निर्माण सामग्री भी उपलब्ध करायी गयी । फिर भी संवेदक ने कार्य समय पर पूरा नहीं किया और अपने आश्वसनों के बीच विभागीय पदाधिकारियों को उलझाये रखा जिसके फलस्वरूप कार्य अपूर्ण रहा। संवेदक पर विभागीय नियमों /ठेका के नियमों के तहत कार्रवाई की गयी। संवेदक के जमा पास जमानत की राशि इत्यादि से समिति के लिये वसूलनीय राशि (दण्ड के दर के साथ) तथा एकरारनामा के तहत महत्तम दण्ड राशि के वसूली की कार्रवाई की जा रही है। उसकी जमा राशि जो विभाग के पास उपलब्ध है, को जब्ती के बाद बची राशि की वसूली हेतु सर्टिफिकेट केस किया जा चुका है। कार्य पर खर्च अनुपयुक्त इसलिए कि संवेदक ने असहयोग पर कार्य को उलझाये रखा। अवशेष कार्य को पूर्ण करनेा हेतु प्राक्कलन निर्मित करने का आदेश क्षेत्रीय पदाधिकारियों को दिया जा चुका है।	

क्रम सं0	कण्डिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुशंसा
1		उपलब्ध शेष में से 2.41 लाख रूपये ठेकेदार द्वारा किये गये निर्माण कार्य के मूल्य से संबंधित था, अनुमान में 3.75 लाख रू0 की धन व्यवस्था की जगह 6.56 लाख रू0 को सामाग्रियों की खरीद में अपवर्तित कर दिया गया और 0.56 लाख रू0 स्थापना लागत को समायोजित करने के लिए डेबिट किया गया। 2. 1,616 बोरे सीमेंट और 24.6 टन एम.एम रॉड के निर्गत की जगह ठेकेदार ने केवल 1,225 बोरे सिमेंट और 8 टन एम.एस. रॉड का उपयोग निर्माण कार्य में किया। अप्रयुक्त सामाग्रियों को ठेकेदार में न तो विभाग को वापस किया और न विभाग में ही दण्डस्वरूप दर पर जैसा कि आवश्यक है, ठीकेदार से उसकी लागत वसूल करने सम्बन्धी कार्यवाही की।इ मद पर दण्डस्वरूप दर पर वसूली योग 1.96 लाख रूपया की राशि की जगह ठीकेदार की जमानत जमा केवल 0.71 लाख रूपये उपलब्ध थे। 3. विभाग ने न तो एकरारनामें भंग किया और न दूसरी ऐजेंन्सी के द्वारा बचे हुए कार्य का निष्पादन कराने की कार्यवाही की जिसके परिणामस्वरूप भवन का निर्माण कार्य जिसे नवम्बर 1980 में सरकार द्वारा प्रशासकीय रूप से अनुमोदित किया गया था, छः वर्षों के बाद भी (अक्टूबर 1986) अधूरा पड़ा हुआ था। इस प्रकार मुख्य अभियंता द्वारा प्रमण्डल को समान रूप से वर्ष भर निधि नहीं दिए जाने के कारण ठेकेदार ने काम करना बन्द कर दिया जिसके फलस्वरूप पोलिटेकनीक छात्रों को आवासीय सुविधा के लाभ से बंचित करने के अलावे बचे हुए निर्माण कार्य पर 9.52 लाख रू0 व्यय करना पड़ा जो अबतक (अक्टूबर 1986) अलाभदायक रहा।	V	विभागीय स्पष्टीकरण को समिति गंभीरता से लेते हुए निदेश देती है कि संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा निधि उपलब्धता के बावजूद सभी मदों [illegible] राशि आवंटित नहीं कराये जाने के विरुद्ध कार्रवाई कर तीन माह के अन्दर विभाग समिति को सूचित कराये।
3.	4.10	परिहार्य भुगतान मार्च 1977 में एक उच्च महिमान्वित के आगमन के अवसर पर जिलाधिकारी के अनुरोध पर लोक निर्माण कार्य प्रमण्डल (1 अप्रैल	विभागीय पत्रांक 1864 (भ) दिनांक 18.5.98 द्वारा सिविल कण्डिका का उत्तर बिहार विधान सभा सचिवालय लोक लेखा समिति कोषांग को उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नरूपेण है:–	

क्रम सं0	कण्डिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुशंसा
		1979 से जिसका नामकरण भवन निर्माण प्रमण्डल, हो गया है) ने फरवरी 1977 में एक ठीकेदार को भागलपुर के सैंडीज कम्पाउन्ड में घेरा लगाने का कार्य सौंपा। यह कार्य 22 मार्च 1977 को 1.55 लाख रूपये की कुल लागत पर पुरा हुआ जिसमें से 0.77 लाख रू0 अप्रैल 1977 में जिलाधिकारी से आवंटन प्राप्त होने पर ठीकेदार को दिया गया। अप्रैल और जुलाई 1980 में ठीकेदार द्वारा अनुस्मारक और मई 1983 में प्लीडर्स नोटिस जारी करने (बीच की अवधि में दावे के भुगतान पर जोर नहीं दिया गया) के बावजूद जब विभाग ने बची हुई निधि प्राप्त करने एवं बकाये चुकता करने (0.73 लाख रू0) सम्बंधी कोई कार्रवाई नहीं की तब ठीकेदार ने जुलाई 1983 में न्यायालय में मनीसूट दायर कर दिया। अधीक्षण अभियंता भवन अंचल भागलपुर से अप्रैल 1984 में स्पष्ट आदेश के बावजूद कार्यपालक अभियंता ने न तो मामले का प्रतिरोध किया और न न्यायालय मे प्रतिशपथ पत्र ही दायर किया। न्यायालय ने मई 1985 में वादी के पक्ष में लागत और ब्याज के साथ उसी न्यायालय में विभाग ने अपील किया। (विहित एक महीनें के भीतर के बजाय पांच महीनें के बाद अपील के कालाती होने के अलावा अभिलेख में साक्ष्य के विपरित होने पर न्यायालय ने तर्क को अमान्य कर दिया। परिणामस्वरूप कार्यपालक अभियंता ने फरवरी 1986 में ठीकेदार को 1.46 लाख रू0 डिग्री के पूर्ण निपटान हेतु दिया। जिसमें मूलधन (0.78 लाख रू0) ब्याज (0.63 लाख रू0) और न्यायालय खर्च (0.05 लाख रू0) शामिल है। ठीकेदार के दावे के निपटारा करनें में विलम्ब के फलस्वरूप ब्याज के रूप में और न्यायालय खर्च के रूप में 0.68 लाख रू0 का परिहार्य भुगतान हुआ। भुगतान करने में विलम्ब का उत्तरदायित्व अभितक (अप्रैल 1987) निश्चित नहीं किया गया था।	भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1985–86 (सिविल) की कण्डिका 4.10 के परिहार्य भुगतान के सम्बंध में निर्देशानुसार निम्नांकित तथ्यों से लोक लेखा समिति के माननीय सदस्यों को अवगत करना है :– 1. निगरानी मामले के फलस्वरूप पूर्ण भुगतान में विलम्ब हुआ। 2. न्यायालय के आदेश के कारण सूद की राशि का भुगतान करना पड़ा। 3. चूंकि मुदकमें के फेसले के वर्षो में विभाग का पृथक्कीकरण हो रहा था, अतएव मुख्यालय स्तर पर मामले का सही ट्रैक नहीं रखा जा सका। 4. अब तक मुकदमें के मामले में विभाग पूर्ण सतकर्ता बरत रहा है।	विभागीय उत्तर से समिति संतुष्ट है, इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

2. 3 – 85 – 86

परिशिष्ट - 'क'

(2) (ii) जिला और राजस्व प्रशासन
उप अंचल और ग्रामीण सरकारी भवनों का पक्कीकरण :–
सारी परियोजनायें 1 लाख से कम राशि की है, अतः ये नई सेवा के अन्तर्गत नहीं आते।

(3) (iii) कोषागार और लेखा प्रशासन :–
उप कोषागार भवनों का निर्माण रद्दो- बदल और विस्तार :
(क) राज्य के छः स्थानों एवं उप–कोषागार भवन का निर्माण

1. साहेबगंज	स्वीकृत प्राक्कलित राशि	1985–86 का संभावित व्यय
2. मसौढी		
3. दलसिंहसराय		
4. शेखपुरा		
5. जहानाबाद	14.6625 लाख	6–7371 लाख
6. नालन्दा		

(ख) राज्य के 11 जिलों के कोषागार भवनों में परिवर्तन एवं परिवर्तन का कार्य :–

1. पटना समाहरणालय		
2. पटना सचिवालय		
3. भागलपुर	11–00 लाख	5–77 लाख
4. दुमका		
5. हजारीबाग		
6. रांची		
7. गया		
8. छपरा		
9. मुजफ्फरपुर		
10. दरभंगा		
11. सहरसा		
	25–6625	12–141

(4) प्रशिक्षण प्रशासन –
प्रशिक्षण भवनों पुस्तकालय का निर्माण एवं अन्य निर्माण :
(i) राज्य प्रशिक्षण– संस्थान
रांची के विकास हेतु भवन
परियोजनाओं का निर्माण कार्य – 159–4800 45–97

(5) न्यायालय भवनों का निर्माण एवं
परिवर्धन न्याय प्रशासन –
(क) राज्य के विभिन्न स्थानों (मधुबनी एवं नवादा)
में प्रत्येक स्थान पर 2 तथा गया, जहानाबाद,
आरा, सासाराम, भभुआ, बेगूसराय, देवघर, 46–69 28–01
सीतामढ़ी

(ख)	राज्य के विभिन्न स्थानों (चाईबासा, जमशेदपुर, सरायकेला, रांची, खूँटी, लोहरदगा, गुमला, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा पाकुड़, डाल्टेनगंज, गढ़वा, लातेहार) में स्थित न्यायालय में अतिरिक्त सुख–सुविधा हेतु निर्माण कार्य –	57–42	56–209
(ग)	राज्य के विभिन्न स्थानों (औरंगाबाद, आरा, बक्सर, गया, जहानाबाद, पटना, बाढ़, नालन्दा, नवादा, सासाराम, भभुआ) में न्यायालय भवनों में अतिरिक्त सुख–सुविधा के लिये भवनों का निर्माण कार्य –	47–85	23–107
(घ)	राज्य के विभिन्न स्थानों (भागलपुर, धनबाद, हजारीबाग, मुंगेर, जमुई, गिरिडीह, बांका, चास एवं कोडरमा) में न्यायालय में अतिरिक्त सुख–सुविधा हेतु भवन का निर्माण कार्य –	41–47	23–67
(च)	राज्य के विभिन्न स्थानों (बेतिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, बैशाली, मोतिहारी, सिवान, छपरा) में न्यायालय भवन के अतिरिक्त सुख– सुविधा के लिये भवन का निर्माण कार्य –	31–10	18–974
(छ)	राज्य के विभिन्न स्थानों (सहरसा, खगड़िया, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगुसराय, मधेपुरा, कटिहार) में न्यायालय भवनों में अतिरिक्त सुख–सुविधा भवन का निर्माण कार्य –	31–90	17–64
	कुल योग	256=43	139=63

		स्वीकृत प्राक्कलन की राशि (लाख)	1985–88 का व्यय (लाख)
	कारा		
(6)	**राज्य में कारा भवनों का निर्माण –**		
(क)	घाटशिला एवं साहेबगंज अनुमण्डलों में 150 कैदियों की क्षमता वाले दो उप–कारा भवनों का निर्माण –	89–9	33–995
(ख)	मसौढ़ी, शेखपुरा एवं किशनगंज, अनुमण्डलों में 150 की क्षमता वाले तीन उप–कारा भवनों का निर्माण –	134–85	57–545

(ग)	शिवहर, दलसिंहसराय, उदयकिशुनगंज में 150 क्षमता वाले तीन उप–कारा भवनों का निर्माण –	134–85	73–24
(घ)	हजारीबाग में 208 क्षमता वाली तरूण–कारा का निर्माण –	100–00	25–00
(च)	पाँच केन्द्रीय कारा भागलपुर विशेष गया, मुजफ्फरपुर एवं रांची में 50 की क्षमता वाले तरूण बंदियों के लिये स्वतंत्र कारा का निर्माण –	31–69	14–401
(छ)	दक्षिण बिहार के जिला कारागों फुलवारीशरीफ, जहानाबाद, आरा, बाईवासा एवं जमशेदपुर में 30 बंदियों की क्षमता वाले तरूण बंदियों के लिय स्वतंत्र कारा का निर्माण –	24–6	10–568
(ज)	उत्तर बिहार के 9 जिला कारागों दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, सिवान, मोतिहारी, छपरा, खगड़िया एवं मधेपुरा में 30 तरूण बंदियों की क्षमतावाले स्वतंत्र तरूण कारा का निर्माण –	36–90	17–12
(ट)	दक्षिण बिहार के 27 उप–कारागों में 15 की क्षमता वाली तरूण बंदियों के लिये स्वतंत्र कारा का निर्माण –	70–74	31–011
(ठ)	उत्तर बिहार के चार उप–कारागों सुपौल, किशनगंज, अररिया एवं बगहा में 15 की क्षमता वाले तरूण बंदियों के लिये स्वतंत्र कारा का निर्माण –	10–48	5- 048
(ड)	दक्षिण बिहार के विभिन्न कारागों में सुख–सुविधा के लिये स्टेन्डर्ड ओटे एवं सोईघर का जीर्णोद्धार दिवारमय शौचालय का निर्माण, स्वतंत्र जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं विद्युतिकरण आदि का कार्य	99–64	49–00
(ढ)	उत्तर बिहार के विभिन्न कारागों में सुख–सुविधा के लिये स्टैन्डर्ड ओटे रसोईघर का जीर्णोद्धार, दिवार शौचालय का निर्माण, स्वतंत्र जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं विद्युतिकरण आदि का कार्य –	42–88	16–969
	कुल योग –	776–51	324–887

वर्ष 1986–87 (सिविल)

क्रम सं0	कण्डिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुशंसा
1.	2.2.9	अनुदानों में बचत एक करोड़ से अधिक बिना अभ्यार्पित रह गये। क्रमांक– 3.12 में लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत 7.27 करोड़ रूपये की बचत।	नियमानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व अनुमानित बचत का अभ्यर्पण कर देना है। इस संदर्भ में अधीनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को समुचित निर्देश दिये गये हैं।	विभाग सचिव के [illegible] [illegible] [illegible] इस कंडिका को आगे [illegible] नहीं [illegible]।
2.	4.16	**ठीकेदार के पास बकाया** भवन निर्माण प्रमण्डल भागलपुर ने राजकीय बालिका उच्च विद्यालय भागलपुर के मुख्य भवन का निर्माण कार्य 15.22 लाख रूपये की लागत पर नवम्बर 1982 तक पूर्ण किये जाने के लिए एक ठेकेदार को मई 1981 में सौंप दिया था। 10.45 लाख रूपये मूल्य का कार्य करने के बाद ठेकेदार ने कार्य छोड़ दिया। ठीकेदार की जिम्मेदारी और लागत पर संविदा समाप्त कर दी गई। (दिसम्बर 1984) और 3.24 लाख रूपये मूल्य का शेष कार्य (पून: अनिविदित पुरानी संविदा के मदों का मूल्य 1.53 लाख रूपया) 4.35 लाख रूपये की लागत पर एक दूसरे ठीकेदार को सौंप दिया गया। (जनवरी 1986) 10 प्रतिशत मुआवजा (1.52 लाख रूपये) अतिरिक्त लागत (1.11 लाख रूपये) और आवश्यकता से अधिक निर्गत तथा वापस नहीं की गयी। विभागीय सामग्रियों का दण्ड दर पर मूल्य (2.50 लाख रूपये) के रूप में मूल ठीकेदार से वसूलनीय कुल 5.13 लाख रूपये के मुकाबले विभाग के पास जमानत जमा के रूप में केवल 0.88 लाख रूपये उपलब्ध थे। 4.25 लाख रूपये की वसूली के लिए विभाग के तीन वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। (नवम्बर 1987)	विभागीय पत्रांक 1515 (भ) दिनांक 12.03.97 द्वारा सिविल कण्डिका का उत्तर बिहार विधान सभा सचिवालय लोक लेखा समिति कोषांग को उपलब्ध कराया गया है, जो निम्न रूपेण है:– निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि ठीकेदार के पास बकाया के सम्बंध में कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण एवं आवास विभाग भवन प्रमण्डल भागलपुर ने अपने पत्र संख्या 687 दिनांक 20.7.96 द्वारा सूचित किया कि संवेदक के कुल वसूली योग्य राशि से 85,428.00 (पचासी हजार चार सौ अठाईस) रूपये मात्र की राशि की वसूली नहीं हो पा रही है। वसूली की कुल राशि नियमानुसार (2,36,746.00 + 1,11,000.00) कुल 3,47,746.00 रूपये होती है। इस राशि के विरूद्ध रूपये 2,62,318.00 की वसूली करने के पश्चात संवेदक की मृत्यू हो जाने के कारण उनका प्रमण्डल में कोई देना/ पावना नहीं रहने के कारण 85,428.00 रूपये मात्र वसूली नहीं की जा सकी है। संवेदक के उत्तराधिकारी से सरकारी राशि की	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका की [illegible] की [illegible] तक [illegible] रखती है।

क्रम सं0	कण्डिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुशंसा
			वसूली निलामी पत्र मुकदमा दायर कर करने का निर्णय लिया गया है। इस परिपेक्ष्य में अधीक्षण अभियंता भवन अंचल भागलपुर / कार्यपालक अभियंता भवन प्रमण्डल भागलपुर को विभागीय पत्र संख्या 1430 (भ) दिनांक 10.03.97 द्वारा उक्त संवेदक के उत्तराधिकारी के विरूद्ध निलामी पत्र मुकदमा दायर कर सरकारी राशि की वसूली कर विभाग को सूचना देने हेतु आदेश दिया गया है।	
3.	5.5.	**<u>भण्डार की कमी</u>** विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन के फलस्वरूप भवन निर्माण प्रमंडल मुजफ्फरपुर में सीमेन्ट, लोहे की छड़, नालीदार एस्वेस्टस चादर, नरम इस्पात, पलैट, पेन्ट आदि 1.01 लाख रूपये मूल्य के भण्डार में फरवरी 1981 में कमी पायी गयी है।	विभागीय पत्रांक (भ) दिनांक 12.6.98 द्वारा सिविल कण्डिका का उत्तर बिहार विधान सभा सचिवालय लोक लेखा समिति कोषांग को उपलब्ध कराया गया है, जो निम्न रूपेण है– 1) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 1997 के अन्त होने वाली प्रतिवेदन की कण्डिका 5.6 (भण्डार की कमी) मूल कण्डिका है। 2) कार्यपालक अभियंता भवन प्रमण्डल मुजफ्फरपुर का पत्रांक 301 (अनु0.) दिनांक 8.3.96 के अनुसार श्री बालेश्वर सिंह तत्कालीन भण्डार पाल भवन प्रमण्डल मुजफ्फपुर के स्थानान्तरण के फलस्वरूप विभिन्न सामग्रियों का प्रभार नहीं दिया गया, जिसका मूल्य वर्ष 1985–86 के अंकेक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा के आधार पर 2.20 लाख रूपये निरूपित किया गया परन्तु बाद में जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर के द्वारा प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी के समक्ष भौतिक सत्यापन के आधार पर 1.02 लाख के मूल्य की सामग्रियों के मूल्य की कमी पायी गयी। 3) जून 1987 में श्री बालेश्वर सिंह, तत्कालीन भण्डार पाल के विरूद्ध ब्रह्मपुरा थाना में वाद संख्या 57 / 87 कायम किया गया। जिसका मुख्य न्यायिक	विभागीय [illegible] को पुर्नविचार समीक्षा हेतु भेजें। समिति की यह निर्देश है कि विभाग [illegible] की वस्तुस्थिति से तीन माह के अन्दर समिति को [illegible]।

क्रम सं0	कण्डिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुशंसा
			दण्डाधिकारी ने कंगलीजेंस ले लिया और बाद न्यायालय में विचाराधीन था। 4) श्री बालेश्वर सिंह वाद कायम होने के पश्चात लापता हैं और विभाग द्वारा उनके सेवा से बरखास्त कर दिया गया है। 5) न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम के अदालत में इस केस के दौरान श्री सिंह कभी हाजिर नहीं हुए। अदालत ने उन पर अपने पत्रांक 952–79 पर भाईण्ट वारंट निर्गत किया परन्तु पुलिस इसे कोर्ट में हाजिर नहीं कर सकी इस लिए प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी की अदालत ने उन्हें दिनांक 12.7.93 को भगौड़ा घोषित कर दिया। 6) भवन निर्माण विभाग द्वारा विधि विभाग से परामर्श लिया गया विद्वान महाधिवक्ता द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध मनी सूट दायर कर वसूलनीय राशि की वसूली करने का परामर्श दिया। 7) भवन निर्माण विभाग का पत्रांक 1861 (स) दिनांक 18.5.98 द्वारा कार्यपालक अभियंता भवन प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को श्री बालेश्वर सिंह, भण्डारपाल के विरूद्ध मनीसूट दायर करने का आदेश दे दिया गया है।	

वर्ष 1987–88 (सिविल)

क्रम सं0	कण्डिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुशंसा
1	3.3	अप्राप्त सामग्रियाँ 13 निर्माण प्रमण्डलों (न्यू कैपटल प्रमण्डल पटना और भवन प्रमंडलों, समस्तीपुर, मुंगेर, मधेपुरा, खगड़िया और कोडरमा भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत पथ प्रमण्डलों, गमला, डालटेन गंज, लातेहार और भागलपुर पश्चिम पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत, आर. ई.ओ., प्रमण्डलों बेतिया, राँची और मधेपुरा ग्रामीण पुनर्निर्माण और पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत) द्वारा सरकार / मुख्य अभियंता के आदेश पर आदेश की तिथि से 3.5 महीने के अन्दर 5931 टन सिमेंट की आपूर्ति करने के लिए विभिन्न सिमेंट कंपनियों को अक्टूबर 1984 से मार्च 1987 के दौरान 67.80 लाख रूपये अग्रिम दिए गये थे। सरकार की हित की रक्षा करते हुए औपचारिक अनुबन्ध आपूर्तिकर्त्ताओं से किए बिना सामग्री की पूरी लागत प्रमण्डलों द्वारा अग्रिम दे दिया गया। 57.80 लाख रूपये के 5931 टन सिमेंट के अग्रिम भुगतान के विरूद्ध 45.47 लाख रूपये मूल्य के 4.466 टन सिमेंट अभी तक आपूर्ति नहीं किये गये (मई 1988)। इस प्रकार सरकार के 45.47 लाख रूपये आपूर्तिकर्त्ताओं के पास नवम्बर 84 से मई 1988 की विभिन्न अवधियों के लिए अवरूद्ध रखे गये। उनमें से एक जिसके पास 4.82 लाख रूपये पड़े थे, ने कारखाना बन्द हो जाने के कारण वापस करने में अपनी मजबूरी प्रकट की (अक्टूबर 1985)। कार्यपालक अभियंता ने बताया (अप्रैल 1988) कि उससे अग्रिम की वापसी की कार्रवाई की जायेगी। इस मामले की सूचना सरकार को सितम्बर 1988 में दी गई, उत्तर अपेक्षित है (मई 1989)	उठाये गये बिन्दु से सम्बंधित प्रतिवेदन मात्र कोडरमा भवन प्रमण्डल से प्राप्त हुआ है। शेष अन्य प्रमण्डलों से यथा शीघ्र प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु स्मार दिया गया है। सभी सम्बंधित भवन प्रमण्डलों से प्रतिवेदन प्राप्त होते ही समीक्षोपरान्त इस सिविल कण्डिका का उत्तर लोक लेखा समिति कोषांग को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करा दिया जायेगा।	समिति ने [illegible] निदेश दिया कि विभाग [illegible] [illegible] प्राप्त कर समिति [illegible] [illegible] स्थापित करें।
2.	3.7	सामग्रियों की कमी कनीय अभियंता द्वारा प्रसार हस्तान्तरण के समय (क्रम संख्या 7) के दौरान 7 प्रमण्डलों में सितम्बर 1982 से अगस्त 1985 के बीच सामग्रियों, दुल	विभागीय पत्रांक 3878 (भ) दिनांक 19.6.2000 द्वारा इस सिविल कण्डिका का उत्तर बिहार विधान सभा सचिवालय लोक लेखा समिति कोषांग को उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नवत है।	

क्रम सं0	कण्डिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुशंसा
		और प्लांट की कमी के फलस्वरूप 20.73 लाख रूपये की हानि हुई। प्रमण्डल का नाम / सामग्रियों विवरण / मूल्य / कब पता चला / अभ्युक्तियाँ 1. भवन प्रमंडल आरा / साल बल्ला / 2.38 / मार्च 1985 / उत्तरदायित्व निश्चित नहीं किया गया (मई 1988) 2. भवन प्रमंडल नवादा / लोहे की छड़े ऐसबेस्टस, कारोगटेड शीट, ऐंगल, लाक चेयर,टेबल आदि / 1.60 / जनवरी 1984 से जुलाई 1984 / निश्चित किये गये उत्तरदायित्व की सूचना नहीं दी गई जून 1988	उपर्युक्त विषयक नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1987–88 (सिविल) की कण्डिका संख्या 3.7 के सम्बन्ध में निम्नलिखित वस्तुस्थिति से अवगत कराना चाहता हूँ :– 1. भवन प्रमण्डल नवादा के अन्तर्गत विभिन्न सामग्रियों के प्रभार के आदान–प्रदान में कमी पाये जाने के लिए विभागीय लोक लेखा समिति द्वारा श्री दयानन्द सिन्हा तत्कालीन कनीय अभियंता को दोषी मानते हुए उनके वेतन से रू0 52,869.00 की वसूली के लिए विभागीय स्तर से कार्रवाई की जा रही है। 2. भवन प्रमण्डल आरा के अन्तर्गत घेराबन्दी कार्य हेतु साल बल्ला के क्रय के संदर्भ में विभागीय लोक लेखा समिति द्वारा श्री चन्द्रदेव प्रसाद तत्कालीन कनीय अभियंता को दोषी मानते हुए उनके वेतन से रू0 2,38,000.00 की वसूली की अनुशंसा की गई है, जिसके वसूली के लिए विभागीय स्तर से कार्रवाई की जा रही है। 3. तत्कालीन सहायक अभियंता श्री बालेश्वर प्रसाद सिन्हा, जिन्होंने वर्ष 1977 में लिए साल बल्ला की आपूर्ति बिना सत्यापन किये स्टोर में लिया था, दिनांक 23.6.96 को सेवा निवृत हो चुके हैं। अतः इनके विरूद्ध कोई प्रशासनिक कार्रवाई करना उचित नहीं प्रतीत होता है। श्री प्रसाद की इस कार्य के लिए निन्दनीय सेवा घोषित कर उन्हें सूचित कर दिया जायेगा।	विभागीय स्पष्टीकरण को समिति संज्ञान में लेती है। समिति के इस निदेश के साथ कि विभाग दोषी अभियंता से राशि की वसूली की अद्यतन कार्रवाई से तीन माह के अन्दर समिति को अवगत करावें। समिति के इस निदेश के साथ कि विभाग दोषी अभियंता से राशि की वसूली के लिए अद्यतन क्या कार्रवाई की है, तीन माह के अन्दर समिति को अवगत करावें। विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

वर्ष 1988—89 (सिविल)

क्रम सं0	कण्डिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुशंसा
1.	2.2.4	योजनान्तर्गत अन्तिम सीमा में कमी के कारण 0.90 करोड़ रुपये की बचत का कारण नहीं बताया गया है।	वित्तीय वर्ष 1988—89 में प्रारम्भ होने में योजना उदव्यय 1900.00 लाख रूपये का रखा गया था। पर पीछे प्रथम चरण में 100.00 लाख रूपये और द्वितीय चरण में 25 % की कटौती के कारण यह अंततः 1350.00 लाख रूपये जिसके विरूद्ध 1340.58 लाख का व्यय किया गया। इस राशि की अष्टम वित्त आयोग के कार्यो पर 274.68 लाख रूपये तथा प्रशासनिक भवन प्रक्षेत्र के कार्यो पर 972.36 लाख रूपये व्यय हुआ। इस वर्ष अष्टम वित्त आयोग के अधुरे कार्यो में 104 इकाई तथा प्रशासनिक भवन प्रक्षेत्र में 34 परियोजनाओं के कार्यो को पूरा किया गया।	[illegible] उत्तर के आलोक में समिति इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।
		<u>अनुचित वित्तीय लाभ</u> हजारीबाग जिला में सैनिक स्कूल तिलैया के लिए 3 वार्डो में एक छात्रावास का निर्माण सरकार द्वारा मार्च 1982 में 102.40 लाख रूपये पर स्वीकृत किया गया था। सभी 3 खण्डों के लिए असैनिक कार्यो का भाग 83.91 लाख रूपये की लागत के लिए अनुमानित था कि एक ठीकेदार को मई और नवम्बर 1983 के बीच 73.72 लाख रूपये की उसकी निविदित दरों पर सौंपी गयी थी। कार्य जो अप्रैल 85 तक पूर्ण होना था जून 1986 (पूर्णता की बढ़ी हुई तारीख) तक 93.09 लाख रूपये की लागत पर पूर्ण हुआ था। जब कार्य प्रगति में था, ठीकेदार ने विभाग को निवेदित किया कि उसको 1 कि.मी. के दूरी से पानी के ट्रक द्वारा लाने के लिए अतिरिक्त दरों पर भुगतान किया जाना चाहिए क्योंकि भावी निर्माण कार्य के लिए पानी को आवश्यक मात्रा स्थल के पास उपलब्ध नहीं थी। कार्यपालक अभियंता भवन प्रमण्डल, कोडरमा की अनुशंसा पर कि 15 मार्च से 15 जून तक प्रत्येक	विभागीय पत्रांक —2277 दिनांक 17.6.98 द्वारा उत्तर बिहार विधान सभा सचिवालय लोक लेखा समिति कोषांग को उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नरूपेण है :— निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वर्ष 1988—89 का प्रतिवेदन (सिविल) की कण्डिका 4.14 (अनुचित वित्तीय लाभ) के सम्बन्ध में कहना है कि सैनिक स्कूल तिलैया में निर्माण कार्य कराने के समय ठीकेदार को बाहर से पानी लाकर क्यूरिंग करने हेतु दावे के रूप में 1,59,568.00 रूपये का भुगतान तत्कालीन पदाधिकारियों द्वारा किया गया। एकरारनामा के मदों में क्यूरिंग का कार्य सम्मिलित है अतएव पानी लाने के लिए अतिरिक्त व्यय के लिए विभाग जबावदेह नहीं है। इसलिए जिस किसी पदाधिकारी ने ऐसे दावे की अनुशंसा की उसे स्वीकृत किया तथा भुगतान करने में सहभागी हुए वे सब दोषी	

क्रम सं0	कण्डिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुशंसा
		वर्ष के गर्म मौसम के दौरान पानी का अभाव होता था, अधीक्षण अभियन्ता भवन निर्माण अंचल, हजारीबाग ने 1984 से 1986 के दौरान सभी 3 खण्डों के सम्बन्ध में पानी लाने के लिए प्रतिदिन 468 रूपये का एक दर संकलित 341 दिनों अनुमोदित (मई 1986) किया। ठीकेदार को सितम्बर/दिसम्बर 1986 में अतिरिक्त दावा के रूप में 1.60 लाख रूपये की एक रकम भुगतान की गयी थी। ठीकेदार के साथ अनुबन्ध के अधीन, विभाग इस भुगतान को करने की बाध्यता के अधीन नहीं था क्योंकि ठीकेदार को पहले स्थान पर जाने और जगह की जानकारी प्राप्त करने, स्थिति स्थल की अवस्था इत्यादि को कह दिया गया था, निविदा डालने के पहले और कार्य के लिए उसके अनुसार ही अपना दर अंकित करने का, जबकि ठीकेदार ने सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए ही दरों को अंकित किया था, वह पानी को लाने के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान पाने का अधिकारी नहीं था और 1.60 लाख के भुगतान के परिणामतः उसको एक अनुचित वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ था। मामला सरकार को अक्टूबर 199 में प्रतिवेदित था, जबाव प्राप्त नहीं हुआ था। (जुलाई 1992)	एवं जवाबदेह है। सभी दोषी पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की माँग की गई। तदुपरान्त विभाग द्वारा दोषी पदाधिकारी के वेतन/पेंशन से राशि वसूली करनी है वे निम्न हैं :– 1) श्री इन्द्रदेव प्रसाद चौधरी तत्कालीन अधीक्षण अभियंता (अब सेवा निवृत्त अ. प्रमुख) :– 39,897.00 2) श्री नागेश्वर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (सेवा निवृत्त) 38,235.00 3) श्री सूरज प्रसाद राय, तत्कालीन सहायक अभियंता 38,235.00 4) श्री सुरेश कुमार दास, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता 1,662.00 5) श्री सुरेन्द्र कुमार सिंहा, तत्कालीन कनीय अभियंता 14,181.00 6) श्री राम सुरेश प्र. सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता 11,466.00 7) श्री स्वर्णेन्दु कुमार सिन्हा, तत्कालीन कनीय अभियंता 14,250.00 उपर्युक्त दोषी पदाधिकारियों से उनके नाम के सामने अंकित राशि की कटौती/वसूली के लिए विभाग द्वारा आदेश निर्गत किया जा चुका है एवं सक्षम पदाधिकारियों को कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रम सं०	कण्डिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुशंसा
3	5.4	**<u>एक फर्म को अधिक भुगतान</u>** मुख्य अभियंता भवन निर्माण पटना ने भवन प्रमण्डल राँची को 1240 रू. प्रति टन की दर से 1700 टन सीमेंट की आपूर्ति करने के लिए कल्याणपुर के सीमेंट निर्माण करने वाले एक फर्म को आदेश दिया। (अगस्त 87) जिसमें लक्ष्य स्थान तक सीमेंट पहुँचाने का भाड़ा प्रभार भी सम्मिलित था। आपूर्ति आदेश के अनुसार प्रेषिती को रेलवे रसीद हस्तान्तरण करने के समय लागत के भुगतान का 98 प्रतिशत और शेष 2 प्रतिशत पूर्ण मात्रा की प्राप्ति पर फर्म को दिया जाना था। आपूर्ति आदेश की शर्तों (प्रेषिती) ने बिना रेलवे रसीद प्राप्त किए (कारण नहीं बताया गया) 29 दिसम्बर 1987 को रेल द्वारा सूचित प्रेषण पर फर्म को 18.26 लाख रुपये का भुगतान किया। फर्म ने रेलवे स्टेशन पर माल का प्रेषण पहुँचने (9 अक्टूबर 1987) के तीन बाद 12 अक्टूबर 1987 को रसीद दिया। इसके परिणामस्वरूप 1.38 लाख रूपये विलम्ब प्रभार के रूप में रेलवे को दिया गया। सीमेंट की डेलीवरी लेने के लिए भाड़ा प्रभार के रूप में विभाग द्वारा 2.16 लाख रूपया व्यय किया गया। 1,659.5 टन सीमेंट प्राप्त किया गया। इस प्रकार आपूरित सीमेंट की लागत पर 20.58 लाख रूपये के विरूद्ध 21.80 लाख रूपये (घाट शुल्क और विलम्ब प्रभार के रूप में) पहले से ही व्यय किये गये थे। अप्रैल 1988 में फर्म को 1.22 लाख रूपये की अधिक राशि वापस करने को कहा गया था लेकिन जून 1989 तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। अधिक भुगतान को टाला जा सकता था। अगर रेलवे रसीद प्राप्त होने पर और ठीकेदार द्वारा देय भाड़ा प्रभार काट कर फर्म को भुगतान किया जाता जैसा कि आपूर्ति आदेश में विहित था। इस बात की सूचना सरकार को अक्टूबर 1989 में दी गयी थी, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। (जुलाई 1992)	कार्यपालक अभियंता, रांची भवन प्रमण्डल संख्या –1 रांची से अन्तरिम प्रतिवेदन प्राप्त हुए है। जिसमें यह उल्लेख है कि आपूर्ति आदेश के शर्त के अनुसार कंपनी का सीमेंट डिसपैच करने का आखरी तारिख 20.9.87 था, किन्तु कम्पनी द्वारा सीमेंट 20.9.87 के बाद भेजा गया है। इस प्रकार आपूर्ति आदेश के शर्त के अनुसार कम्पनी से 5.00 रूपये प्रति मि. टन की दर से कुल 1,22,432.00 रू. वसूली योग्य राशि कम्पनी से वसूल करनी है। उपरोक्त के संदर्भ में मे. कल्याणपुर सीमेंट कंपनी के विरूद्ध वसूलनीय राशि की वसूली के लिए नीलाम पत्र मुकदमा दायर करने हेतु विभागीय पत्रांक 1726 (भ) दिनांक 12.6.98 द्वारा कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया। तत्पश्चात उन्हें इस सम्बन्ध में स्मार पत्र भी भेजा गया है। परन्तु वांछित सूचना उनसे अबतक अप्राप्त है।	समिति के इस निदेश के साथ कि विभाग संबंधित कार्यपालक अभियंता से वांछित सूचना तीन माह के अन्दर प्राप्त कर समिति को अवलोकनार्थ उपस्थापित करें।

वर्ष 1989—90 (सिविल)

क्रम सं0	कण्डिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुशंसा
1.	4.1	**कर्मचारी आवास में विलम्ब** परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्र हजारीबाग के भवन निर्माण एवं 12 कर्मचारी आवास जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति 1973 में एवं मुख्य अभियंता रूपांकण द्वारा तकनीकी स्वीकृति जनवरी 1974 में 5.46 लाख रू. की दी गयी। संवेदक को यह कार्य जिसकी लागत 6.22 लाख रू. है दी गयी जिसे फरवरी 1975 तक पूर्ण करना था। बाद में नियत निर्माण तिथि को जून 1976 तक बढ़ाया गया। 2.94 लाख रूपये की लागत पर प्रशिक्षण केन्द्र का कार्य पूर्ण होने के बाद जुलाई 1976 से कार्य स्थगित पड़ा हुआ था, क्योंकि संवेदक एक अपराधिक मुकदमें के सम्बन्ध में गिरफ्तार हो गया था। क्योंकि कार्य पुनः आरम्भ नहीं हुआ था, विभाग ने प्रशिक्षण केन्द्र के शेष कार्य को संवेदक 'ख' (लागत 1.37 लाख रू.) और कर्मचारी क्वार्टरों का संवेदक 'ग' (लागत 3.09 लाख रू.) अक्टूबर 1978 से अक्टूबर 1979 तक पूर्ण करने के लिए सौंपा। यदि प्रशिक्षण केन्द्र का अवशिष्ट कार्य 1.05 लाख रू. की अतिरिक्त लागत पर अक्टूबर 1979 में पूर्ण हुआ था : कर्मचारी क्वार्टर का निर्माण निधियों की आवश्यकता और संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन के अभाव में अपूर्ण पड़ा रहा। इनको प्राप्त करने की ओर कर्मचारी क्वार्टरों के पूर्ण करने की कोई कार्रवाई दिसम्बर 1990 तक विभाग द्वारा नहीं की गयी थी। मामला सरकार को अगस्त 1990 में प्रतिवेदित किया गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। (अगस्त 1992)	भवन प्रमण्डल हजारीबाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से वर्तमान परिस्थिति में अधिक्षण अभियंता, भवन अंचल हजारीबाग ने स्थिति भिन्न माना है तथा इसके लिए सुस्पष्ट प्रतिवेदन अपने स्तर से प्रेषित करना स्वीकार किया है। परन्तु कतिपय स्मार के पश्चात उनसे प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है। वर्णित स्थिति में इस सिविल कण्डिका का उत्तर भेजने में विलम्ब हो रहा है।	समिति के [illegible] के साथ कि [illegible] तथा शीघ्र प्रतिवेदन प्राप्त कर समिति को अवलोकनार्थ उपस्थापित करें।
2	4.1	**स्फीत मापों के कारण अधिक भुगतान** कार्यपालक अभियंता (ई.ई.) भवन विभाग कोडरमा ने सैनिक स्कूल तिलैया के नव निर्मित छात्रावासों के विद्युतिकरण के लिए 3.93 लाख रू. (अनुमानित लागत 3.28 लाख रू.) के संकलित संविदा लागत पर जनवरी मई 1986 तक पूर्ण करने के लिए सितम्बर 1985 और जनवरी 1986 में निविदाऐं आमंत्रित करने के	यह कण्डिका कोडरमा भवन प्रमण्डल से सम्बन्धित है जो अब राज्य पुनर्गठन के पश्चात झारखण्ड राज्य के अन्तर्निहित है। इस कण्डिका का वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में उत्तर उपलब्ध कराने में विभाग को कठिनाई हो रही है।	विभागीय उत्तर के आलोक में संबंधित कंडिका [illegible] [illegible] को विचारार्थ रखी जा सकती है।

क्रम सं0	कण्डिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुशंसा
		बाद एक संवेदक के साथ 3 पृथक समझौते हुए। कार्य जो सितम्बर 1985 और जनवरी 1986 में प्रारम्भ हुआ था। संवेदक द्वारा जनवरी 1988 में छोड़ दिया गया था, संवेदाक को 3.75 लाख रू. का भुगतान किया गया था। ई.ई. ने संविदाओं को रद्द करने की ओर कार्य जो सितम्बर 1985 और जनवरी 1986 में प्रारम्भ हुआ था। संवेदक द्वारा जनवरी 1986 में छोड़ दिया गया था, संवेदाक की 3.75 लाख रू. का भुगतान किया गया था। ई.ई. ने संविदाओं को रद्द करने की ओर कार्य को संवेदक के जोखिम और लागत पर पूर्ण करवाने की कार्रवाई नहीं की। सितम्बर 1988 में ली गई अन्तिम मापी से प्रकट हुआ कि कनिष्ठ अभियंता द्वारा ली गयी स्कीम मापी और राब के ए.ई. द्वारा परीक्षित मापी के कारण संवेदक को 1.95 लाख रूपये की राशि का अधिक भुगतान हुआ था। ई.ई. द्वारा कोई भी परीक्षण मापी संचालित नहीं किया गया था। विभाग ने परिस्थितियों का जिसमें त्रुटि पूर्ण मापियॉ की गयी थी, का अन्वेषण नहीं किया था। शेष कार्य को 0.81 लाख रूपये की लागत पर अप्रैल 1989 में विभागीय रूप से पूर्ण किया गया था। मामला सरकार को अगस्त 1990 में उल्लिखित किया गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। (अगस्त 1992)		

वर्ष 1991–92 (सिविल)

क्रम सं०	कण्डिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुशंसा
1	2.8	**वर्ष 1991–92 के दौरान लेखा कार्यालय के आकड़ो से विभागीय आँकड़ों का समाधान** विभागीय अधिकारियों द्वारा व्यय पर उचित नियंत्रण रखने हेतु सरकार का स्थायी अनुदेश है कि उनके खाते में दर्ज व्यय को महालेखाकार के खाते में दर्ज आकड़ों से समय–समय पर समाधान होना चाहिए। इसके बावजूद वर्ष 1990–91 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में तथा पहले के प्रतिवेदनों में भी विभागीय आंकडों का समाधान न होने की बात को इंगित किया गया था और सरकार ने भी इस प्रकार के समाधान की आवश्यकता पर पुनः जोड़ दिया है। फिर भी इस मामले में नियंत्रण पदाधिकारियों की ओर से भूल होती रहती है। वर्ष 1991–92 के दौरान 4075 विनियोग के इकाईयों के तहत व्यय को नियंत्री पदाधिकारियों के द्वारा वर्ष 1991–92 की लेखा के अन्तिम संवरण होने तक समाधान नहीं किया गया था। समाधान नहीं की गई राशि लगभग 3415.41 करोड़ है।	विषयगत कण्डिका में उठायी गयी बिन्दु के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करना है कि पूर्व के वर्षो एवं कालान्तर वर्षो में अधिनस्थ कार्यालय द्वारा व्यय किये गये राशि का लेखा सत्यापन सम्बन्ध कार्यालय द्वारा मुख्यालय के निर्देशानुसार महालेखाकार के कार्यालय में अंकित आंकड़ों से व्यय के सत्यापन कार्य किया जाता था। परन्तु वित्त विभाग के निदेशानुसार अधिनस्थ कार्यालयों में किये गये व्यय को मुख्यालय स्तर पर समान्तर लेखा पंजी तैयार कर महालेखाकार के आंकड़ों से व्यय का मिलान नियंत्रण पदाधिकारी को करना है। ऐसी परिस्थिति में व्यय के आंकड़ों का समान्तर लेखा मुख्यालय स्तर पर तैयार करने तथा इसके सत्यापन कराने हेतु पहल किया जा रहा है।	विभाग भविष्य में समुचित प्रक्रिया/सावधानी को सुनिश्चित करें ऐसी बातें दुहराया नहीं जाती है।
2	4.1	**उच्च दर की स्वीकृति से अतिरिक्त भार** दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के विद्यार्थियों के लिए प्रति श्रेणी 120 कमरे वाले 3 श्रेणियों का एक छात्रावास भवन निर्माण कार्य के लिए जनवरी 1990 में 111.50 लाख रूपये का प्रशासकिय अनुमोदन मिला। जून 1992 तक तकनीकी स्वीकृति नहीं मिली। छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु अधीक्षण अभियंता भवन निर्माण अंचल, दरभंगा ने 91.02 लाख (30.34 लाख प्रति श्रेणी की दर से) रूपये की अगस्त 1990 में विस्तृत प्राक्कलन की स्वीकृति दी। कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमण्डल दरभंगा ने निविदा आमंत्रित की जिसमें 3 निविदा दाताओं ने फरवरी 1991 तक मान्य दर प्रस्तुत किया। प्रत्येक निविदादाता ने एक श्रेणी के छात्रावास के लिए निम्नतम दर निवेदित किया। उनका निवेदित दर 30.34 लाख रूपये की प्राक्कलित राशि से 19.5 एवं 21.00 प्रतिशत के बीच अधिक रही। सभी 3 श्रेणियों के छात्रावास भवन का निवेदित राशि	विभागीय पत्रांक 3444 (भ) दिनांक 1.6.2000 द्वारा इस सिविल कण्डिका का उत्तर बिहार विधान सभा सचिवालय लोक लेखा समिति कोषांग को उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नवत है :– उपर्युक्त विषयक नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 91–92 (सिविल) की कण्डिका 4.1 के सम्बन्ध में निम्नांकित वस्तुस्थिति से अवगत कराना चाहता हूँ। (1) वर्ष 1990–91 में दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में भुकम्प से ध्वस्त छात्रावास के स्थान पर 120 शय्या वाले तीन नये छात्रावासों के निर्माण हेतु बिहार सरकार चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्रांक 149 दिनांक 26.01.1990 द्वारा 1,11,60,000.00 (एक करोड़ ग्यारह लाख साठ हजार) रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी।	

क्रम सं0	कण्डिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुशंसा
		109.50 लाख रूपये थी। निविदा दाताओं द्वारा दिये गये अपने दर को घटाये जाने में अनिच्छुक रहने के आधार पर मुख्य अभियंता द्वारा निविदा रद्द कर दी गयी। (दिसम्बर 1990) फिर भी उन्हीं छात्रावास भवनों के लिए दिसम्बर 1990 के बाद लागू होने वाले अनुसूचित दर पर 1.54 लाख रूपये राशि के नये प्राक्कलन की स्वीकृति दी गई। यद्यपि की निविदा की रकम इस प्राक्कलन की करीब थी एवं निविदा की स्वीकृति की अवधि समाप्त नहीं हुई थी फिर भी जनवरी 1991 में इस कार्य के लिए दोबारा निविदा मांगी गई। 9.87 लाख रूपये के अतिरिक्त भार सहित 119.37 लाख रूपये की कुल लागत पर उन्हीं तीनों एजेंसियों को कार्य आवंटित किये गये जिसके विरूद्ध जनवरी 1992 तक उन्हें 4.58 लाख रूपये का पहले ही भुगतान कर दिया गया था। सरकार को विषयवस्तु की सूचना फरवरी 1993 में दे दी गई। उत्तर अप्राप्त है। (अप्रैल 1994)	(2) मुख्य अभियंता भवन निर्माण विभाग, उत्तर बिहार उपभाग के पत्रांक के 956 दिनांक 13.8.90 द्वारा (स्वच्छता विज्ञापन सहित) निविदा आमंत्रण हेतु आदेश निर्गत किया गया। (3) कार्यपालक अभियंता द्वारा तीन ग्रुपों में प्रत्येक छात्रावास के निर्माण हेतु प्रति छात्रावास 30,33,658.00 रूपये की लागत पर निविदा निकाली गयी एवं परिमाण विपत्र अधीक्षण अभियंता द्वारा तीन ग्रुपों में अनुमोदित किया गया। (4) निविदा समेकित रूप से (30,33,656 X 3) 91,00,968.00 का था और दिनांक 28.8.90 को जो तीनों कार्यों के लिए निविदाएं प्राप्त हुई वह अनुदेय सीमा 10 प्रतिशत से ज्यादा यानि 19.6 से 21 प्रतिशत अधिक दर पर प्राप्त हुई जिसकी समेकित राशि 1,09,50,000.00 होती थी। (5) मुख्य अभियंता द्वारा दिसम्बर 90 में निविदाकारों से दर वार्ता की गयी। निविदाकारों द्वारा अनुज्ञेय सीमा 10% के अन्तर्गत कार्य नहीं करने के कारण निविदाएँ रद्द कर दी गयी। (6) दिनांक 16.8.90 से प्रभावी अनुसूचित दर पुनः दिनांक 23.12.90 की तिथि से पुनरीक्षित हो गया और 36,18,000.00 प्रति छात्रावास के लिए निविदा निकाली गयी। जिसकी समेकित राशि 1,08,54,000.00 होती थी। इस बार निविदाएँ 10% अधिक के दर से प्राप्त होने के कारण निविदा की कुल राशि 1,19,39,400.00 रूपये थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक ही वर्ष में दो–दो बार (दिनांक 16.8.90 एवं दिनांक 21.12.90) अनुसूचित दर में अप्रत्याशित वृद्धि होने के फलस्वरूप तथा 10% से बहुत अधिक तथा दूसरी बार 10% के अन्तर्गत निविदा प्राप्त होने के कारण ही राशि में वृद्धि हुई है। मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग उत्तर बिहार उपभाग द्वारा निविदा रद्द	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे [illegible] नहीं चाहती है।

क्रम सं0	कण्डिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशंसा
			करने के समय अनुसूचित दर की वृद्धि की जानकारी उपलब्ध नहीं थी। मुख्य अभियंता द्वारा पहली बार इसलिए भी निविदा रद्द किया गया क्योंकि उन्हें 10% की सीमा में ही दरों की स्वीकृति देनी है। जबकि संवेदकों द्वारा उद्धृत दर 18.5% अधिक थी।	
3	4.9	<u>इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय एकता भवन का निर्माण</u> 167.00 लाख रूपये की प्राक्कलित राशि पर दिसम्बर 1985 में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय एकता भवन के निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति मिली। 104.70 लाख रूपये लागत की भवन वाले हिस्से (विद्युत, जलापूर्ति चहारदिवारी इत्यादि को छोड़कर) के लिए जून 1987 में तकनीकी स्वीकृति मिली। जलापूर्ति सेनिटिरी फिटिंग एवं विद्युतिकरण कार्य सहित, भवन निर्माण कार्य के लिए अगस्त 1987 में निविदा आमंत्रित की गई। कार्य के अनुबन्ध की रकम 135.48 लाख रूपये पर निम्नतम वर दाता को मार्च 1988 में कार्यादेश दिया गया। कार्य समाप्ति की अनुसूचित तिथि मार्च 1990 थी। 88.89 लाख रूपये कार्य सम्पादित मूल्य 89.19 लाख रूपये प्राप्त करने के पश्चात् विभाग से भवन के पूर्ण नक्शा एवं रूपांकण मिलने में देर के आधार पर अभिकरण ने मार्च 1990 में कार्य बन्द कर दिया। निर्माण के पूर्ण नक्शा एवं रूपांकण मई 1988 एवं मई 1990 के बीच संवेदक को उपलब्ध कराया गया । फिर भी अभिकरण ने बचे हुए कार्य 66.29 लाख रूपये के 15 प्रतिशत (76.23 लाख रूपये) अधिक दर पर करने की स्वीकार किया। लेकिन यह स्वीकृति नहीं किया गया एवं समझौता रद्द कर दिया गया । संवेदक पर 6.63 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया जो जुलाई 1992 तक भी वसूल नहीं किया जा सका। अवशेष कार्य के लिए मात्रावृद्धि (13.58 लाख रूपये) सहित 93.71 लाख रूपये की जनवरी 1991 में फिर से निविदा मांगी गई। वर्ष 1990 के अनुसूचित दर से 30 प्रतिशत अधिक दर पर निम्न दर	विभागीय पत्रांक 3490 (भ) दिनांक 3.6.2000 के द्वारा इस सिविल कंडिका का उत्तर बिहार विधान सभा सचिवालय लोक लेखा समिति कोषांग को पूर्व में उपलब्ध कराया गया है जो निम्नवत है :– (1) इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय एकता भवन का नक्शा एवं रूपांकण का कुछ भाग निजी संस्थान द्वारा कुछ विलंब से विभाग को उपलब्ध कराया गया। अत्यन्त विशिष्ट प्रकार का नक्शा होने के कारण विभाग द्वारा भी इसे स्वीकृत करने में कुछ समय लगा। इस विलम्ब के कारण संवेदक द्वारा 89.19 लाख रूपये का कार्य संपादित कर कार्य को बन्द कर दिया गया और बाकी बचे हुए (66.29लाख) पर 15 प्रतिशत (प्रीमियम) दर वृद्धि के साथ कार्य पूर्ण करने के लिए 18 माह का समय मांगा। (2) संवेदक द्वारा समय पर कार्य पूरा न किये जाने के कारण विभाग द्वारा 6.63 लाख (जमानत की राशि) संवेदक से वसूलने की विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। किन्तु संवेदक द्वारा आर्बिट्रेटर के यहाँ जाने के कारण जमानत की राशि वसूल नहीं की जा सकी। (3) आर्बिट्रेटर के फैसले के विरूद्ध विभाग द्वारा सिविल कोर्ट में अपील की गयी किन्तु अपील खारिज हो गयी। (4) संवेदक द्वारा बाकी बचे हुए कार्य (66.29 लाख) पर 15 प्रतिशत प्रीमियम की मांग के साथ साथ 18 माह के और अतिरिक्त समय की मांग को स्वीकार करने में विभाग	

क्रम सं0	कण्डिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुशंसा
		दाता होने के कारण उसी दर दाता को 122.86 लाख रूपये का कार्यादेश दे दिया गया। इस तरह विभाग द्वारा समय पर नक्शा एवं रूपांकण नहीं दिये जाने के कारण वृद्धि पर 42.99 लाख एवं बढ़ी हुई मात्रा पर 13.68 लाख रूपये सहित कुल 56.67 लाख रूपये का अधिक व्यय भार वहन करना पड़ा। सरकार को विषय वस्तु की सूचना फरवरी 1993 में दी गई। उनका उत्तर अप्राप्त है (अप्रैल 1994)।	असमर्थ था क्योंकि इस प्रकार का विभाग में कोई प्रावधान नहीं है। अतएव बाकी बचे हुए कार्य के लिए दोबारा निविदा निकालनी पड़ी। (5) एग्रीमेंट के मुताबिक मेसर्स वहल जोशी एण्ड एसोसिएट का 45,856.00 रूपये की राशि 10 प्रतिशत काट ली गयी है और उन्हें अभी तक नहीं दी गयी है। (6) नक्शा एवं रूपांकण विलम्ब से उपलब्ध कराने के कारण मेसर्स वहल जोशी एण्ड एसोसिएट के विरूद्ध उनके एग्रीमेन्ट के मुताबिक विधि सम्यक कार्रवाई की जा रही है।	समिति के इस निर्देश के साथ कि विभाग मेसर्स वहल जोशी एण्ड एसोसिएट के विरुद्ध की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करायें, इस कंडिका को समाप्त करती है।

रामदेव वर्मा,
सभापति,
लोक लेखा समिति

पटना
दिनांक 30.4.03

बि० स० मु० (एल० ए०) 148- मोनो - 500 -